

2021/202

यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

4/118/2021

तारीख रजू.....

सचिन कुमार बनाम जौहरी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.07.2021	<p>वकील वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वकील वादी श्री देवेन्द्रसिंह नरुका एड0 ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 09.09.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p>	
9.9.21	<p>वकील वादी ..... उपास्थान / साविक आदेश दिनांक 7/7/21 ..... की तालना में पत्रावली वास्ते ..... दिनांक 14/12/21 को पेश हो:</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p>	<p>र. No: 674 28.3.21</p>
13/11/21	<p>पत्रावली Pg 25) कम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारान ..... नहीं होने के कारण प्रकरण का निष्कारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 10/11/21 को न्यायालय हाजा में पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p>	
10/11/21	<p>वकील वादी ..... उपास्थान / साविक आदेश दिनांक 17/7/21 ..... की तालना में पत्रावली वास्ते ..... दिनांक 28/12/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/5/24



पत्रावली पेश हुई। कमील वाली अपील  
 नहीं आयी। कमील वाली को कृ. बॉर्ड  
 प्रवाज दिलाई गई। कोई अपील नहीं आई  
 इनके द्वारा कमील वाली के अग्र हजारी व अग्र  
 पेशी के खादिज किया जाता है पत्रावली  
 फैसला सुनाने के बाद जज से कम होकर  
 कमील जाता है। बिना लखनऊ के  
 हो सुनाया

*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 कठूपर (अलवर)

नया  
 अहवाल  
 की तारीख